fabindia

CELEBRATE INDIA

फैबइंडिया लिमिटेड

CIN : U74899DL1976PLC008436

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 10, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर–बी, पॉकेट–7, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

फोन +91-11-46041700, ई–मेल : mailus@fabindia.net, वेबसाइट : www.fabindia.com

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

आरई: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ('आईईपीएफ')

डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित (''नियम'') के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लाभांश निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से अदत्त या अदावाकृत है, उन्हें कम्पनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अनिवार्य है।

कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते के साथ ही उनके ई–मेल पते पर व्यक्तिगत रूप से भी पत्राचार किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही के लिए कथित नियमों के अधीन आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कम्पनी ने उन संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट https://www.fabindia.com/ पर अपलोड किया है जिनका लाभांश निरंतर सात वर्षों से अदावाकृत पड़ा है और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते को अंतरित किये जाने हेतु देय हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ डीमैट खाते को अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच कर लें। आगे शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये अनुसार ऐसे संबंधित शेयरधारकों के विवरण को आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी/कॉर्पोरेट एक्शन द्वारा नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी।

सभी संबंधित शेयरधारक जिनका लाभांश निरंतर सात वर्षों से अदत्त या अदावाकृत पड़ा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 10 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पूर्व कम्पनी को उसके मुख्यालय सी–40, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110020 पर लिखित अनुरोध भेजकर अपने लाभांश राशि का दावा करें। यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो कंपनी नियमों के अनुसार आगे कोई सूचना दिये बिना संबंधित शेयरधारकों द्वारा धारित षेयरों एवं अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर देगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत एक अनुरोध पत्र के साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, अपने वर्तमान आवासीय पते का समर्थन करने वाले दस्तावेज़, मूल रद्द चेक, क्लाइंट मास्टर सूची (यदि आपके पास डीमैट खाता है), विधिवत हस्ताक्षरित, कंपनी को 10 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले भेजकर अदावाकृत/अदत्त लाभांष का दावा करें। कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी निर्दिष्ट/अपडेट करें।

कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि एवं इक्विटी शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं कर पाएंगे।

षेयरधारक कृपया नोट करें कि वे आईईपीएफ को अंतरित किये गये अपने अदावाकृत लाभांश एवं शेयर अंतरित करने पर (ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी हितलाभ सहित) के लिए संबंधित शेयरधारक वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित वेब आधारित ई–फार्म आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करके एवं विधिवत् हस्ताक्षरित (कम्पनी के साथ दर्ज किये गये नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) सभी भौतिक प्रति फार्म आईईपीएफ–5 में वर्णित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करके इसे आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस पाने का दावा कर सकते हैं।

इस विषय में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया stakeholders@fabindia.net या dinesh.jain@fabindia.net पर सम्पर्क करें ।

कृते फैबइंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
दिनेश कुमार जैन
कम्पनी सचिव और मुख्य विधि एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एफ6224

दिनांक : 19.06.2025
स्थान : नई दिल्ली